फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.12.2023"

भागीरथ बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 80/2023 जीसीएमएस संख्या– 2023/143

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2023	यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थीगण श्री डालूराम, भागीरथ, पोखरराम पुत्रगण श्री हरूराम जाति जाट निवासीगण साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम साण्डन की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 57 में प्रार्थीगण का नाम डालूराम पुत्र हरदेवाराम, पोकरराम पुत्र हरदेवाराम व भागीरथ पुत्र हरदेवाराम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थीगण का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार क्रमशः डालूराम पुत्र हरूराम, पोखरराम पुत्र हरूराम व भागीरथ पुत्र हरूराम है। प्रार्थीगण का नाम क्रमशः डालूराम पुत्र हरूराम, पोखरराम पुत्र हरूराम व भागीरथ पुत्र हरूराम किये जाने का आदेश फरमावें। इसी प्रकार रोही ग्राम साण्डन की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 203 में नाम पोकरराम पुत्र हरदेवाराम व भागीरथराम पुत्र हरदेवाराम दर्ज है जिसको दुरस्त कर सही नाम पोखरराम पुत्र हरूराम व भागीरथ पुत्र हरूराम किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही साण्डन की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 57 में डालूराम पुत्र हरदेवाराम, पोकरराम पुत्र हरदेवाराम व भागीरथ पुत्र हरदेवाराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का नाम डालूराम पुत्र हरूराम, पोखरराम पुत्र हरूराम व भागीरथ पुत्र हरूराम है जो शुद्ध किया जाना उचित है। इसी प्रकार रोही साण्डन की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 203 में प्रार्थीगण का नाम पोकरराम पुत्र हरदेवाराम व भागीरथ पुत्र हरदेवाराम दर्ज है जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का नाम पोखरराम पुत्र हरूराम व भागीरथ पुत्र हरूराम है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 57 व 203 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01.	साण्डन	57 (नया)	डालूराम पुत्र हरदेवाराम पोकरराम पुत्र हरदेवाराम भागीरथ पुत्र हरदेवाराम	डालूराम पुत्र हरूराम पोखरराम पुत्र हरूराम भागीरथ पुत्र हरूराम
		203 (नया)	पोकरराम पुत्र हरदेवाराम भागीरथ पुत्र हरदेवाराम	पोखरराम पुत्र हरूराम भागीरथ पुत्र हरूराम

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को लिखाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

लोक अदालत सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

लोक अदालत सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

लोक अदालत सुजानगढ़